(5)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
23/12/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा० पत्र O6R17 cpc एवं बहस प्रा० पत्र 136 LR Act दिनांक 08/01/26 को पेश हो। [signature] 23/12/25	
15/1/26	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस प्रा० पत्र O6R17 cpc के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस प्रा०पत्र 136 भी सुनी। द. आर्थि० प्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि ग्राम सांगरिया तहसील सुनेल की वादग्रस्त आराजी खसरा नं० 952, 1562/952 व 1561/952 के राजस्व नक्शे में तरमीम आई की जाकर मौके पर कब्जेकाश्त अनुसार नक्शे में तरमीम करने का मुख्य अनुतोष चाहा गया है लेकिन टाइपिंग त्रुटि वश प्रा० पत्र में धारा - 131 LR Act की जगह धारा - 136 LR Act अंकित हो गया है जो एक मानवीय त्रुटि होने से न्यायहित में दुरुस्ती की जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जावे। आगे तर्क किया कि प्रार्थी खातेदार बहादुर सिंह का पुत्र है लेकिन बहादुर सिंह का फौती इंतकाल दर्ज नहीं होने से प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। आगे तर्क किया कि ... बहादुर ... सज्जनसिंह पिसरान चैनसिंह तीनो भाई है और ... के मध्य आपसी सहमति से तहसीलदार के कोर्ट से	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:15:04 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहक… हुक्म … में …

दिनांक 17/5/2016 को सहमति खाता विभाजन हुआ था। सहमति विभाजन आदेश पर अंकित नक्शे की पालना मे लट्ठा नक्शा मे राजस्व कार्मिकों द्वारा तरमीम नही गई जबकि तीनो भाई कभी से अपने-अपने हिस्सों पर काबिज काश्त चले आ रहे थे। तहसील को online करते समय रिकार्ड के संग्रीगेशन के दौरान तात्कालीन राजस्व कार्मिको द्वारा बिना सहमति विभाजन आदेश को एवं मौके की स्थिति देखे तहसील मे बैठे-२ नक्शे मे विधि विरुद्ध तरमीम कर दी गई जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

3. अभि० अप्रार्थीगण द्वारा अपने बहस प्रा० पत्रों का विरोध करते हुऐ कथन किया कि प्रार्थी, रिकार्डेड खातेदार कृषक नही होने से प्रा० पत्र धारा 136 or 131 LR Act लाने का अधिकार नही है। वादग्रस्त आराजी खातेदार बहादुरसिंह के खाते दर्ज है और इनके तीन विधिक वारिसान - (i) एलकारसिंह (पुत्र) (ii) ब्रजमोहन सिंह (पुत्र) व (iii) वल्लमकुवर (बेवा) - है। प्रार्थी द्वारा अन्य दो विधिक वारिसान को, जो कि भावी सह-खातेदार है - पक्षकार बनाये बिना उनके खाते की आराजी की मूल entries मे परिवर्तन नही कराया जा सकता है। प्रार्थी को पहले फौती नामान्तरण दर्ज करा कर अपने हिस्से का खाता [illegible] करा [illegible] फिर यह प्रा० पत्र पेश करना चाहिए [illegible] अत: यह प्रा० पत्र u/s 136 or 131 LR Act defective होने से खारिज किये जाने योग्य है। आगे तर्क किया कि

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:15:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	पैनसिंह के तीनो पुत्रो मे सहमति खाता विभाजन हो कर तीनो अपने-2 खाते की आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है। 2016 से ही काबिज है लेकिन विगत 7 वर्षो मे कभी प्रा० पत्र पेश नही किया। प्रार्थी, अप्रार्थीगण को परेशान करने के लिए यह प्रा० पत्र पेश किया गया है जो खारिज योग्य है।	

4. बहस उभयपक्ष के परिपेक्ष्य मे पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रा०पत्र u/s 136 LR Act के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी का मुख्य relief राजस्व नक्शे मे सेटलमेंट के दौरान की गई त्रुटि की दुरूस्ती है और Revenue Map मे तरमीम दुरूस्ती u/s 136 LR Act मे नही होकर u/s 131 LR Act मे किये जाने के प्रावधान है। प्रार्थी के प्रा० पत्र का मूल उद्देश्य राजस्व नक्शे मे दुरूस्ती है, अत: धारा 136 LR Act का अंकन एक Typing error है। किसी प्रकरण के वाद/प्रा० पत्र के विषय मे कोई typing error होने मात्र से किसी को न्याय से वंचित किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विरूद्ध है। यथासंभव प्रत्येक प्रकरण technical grounds पर नही बल्कि merit पर adjudicate किया जाना चाहिए। अत: प्रार्थी का प्रा० पत्र 06R17 CPC स्वीकार किया जाता है तथा प्रा० पत्र u/s 136 LR मे Red ink से [illegible] LR Act संशोधित किया जाता है।

5. पत्रावली को पेश जमाबंदी संवत 2071-74 के अवलोकनानुसार वादग्रस्त भूमि ख० न० 1562/952 बहादुर सिंह के खाते, ख० न० 1561/952 सज्जनसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:15:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर आदेश हुक्म
	के LRs के खाते एवं ख०न० 952 भैरूसिंह के खाते दर्ज है। बहादुर सिंह, सज्जनसिंह व भैरूसिंह पिसं० चैनसिंह तीनों सगे भाई है और तीनों मध्य शामलाती भूमि का आपसी सहमति से तहसीलदार पिडावा के कोर्ट से दिनांक 17/5/2016 को राजस्व लोक अदालत अभियान - 2016 कैम्पस्थल गोलानी मे बटवारा हुआ था। तहसीलदार के सहमति बटवारा आदेश दिनांक 17/5/2016 के पुश्त भाग पर मूल ख०न० 952, 953, 999 व 68 के विभाजन का नक्शा (map) बना हुआ है। उक्त नक्शे (map) से स्पष्ट है कि मूल ख०न० 952 रकबा 13-05 बीघा मे उत्तर से दक्षिण की ओर सीधे तीन हिस्से किये गये है जिसमे पश्चिम का हिस्सा भैरूसिंह (1) रकबा 6-17 बीघा, मध्य भाग रकबा 3-05 बीघा सज्जनसिंह के LRs के एवं पूर्वी भाग रकबा 3-05 बीघा बहादुर सिंह को बटवारे मे दिया गया था। प्रार्थी द्वारा पेश वादग्रस्त आराजी के online नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट है कि बहादुर सिंह का हिस्सा मध्य भाग एवं सज्जनसिंह के LRs का हिस्सा पूर्वी भाग मे दर्ज है जो कि सहमति बटवारा आदेश दिनांक 17/5/2016 मे अंकित राजस्व नक्शे के विपरीत है। मध्य भाग सज्जनसिंह के LRs का एवं पूर्वी भाग बहादुर सिंह के हिस्से नक्शे मे दर्ज किया चाहिए। अतः राजस्व कार्मिकों द्वारा राजस्व नक्शे (online) मे गलत तरमीम किया जाना	

अधिकारी ... जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:15:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	साबित है। 6. क्या धारा-136 LR or धारा 131 LR Act का प्र० पत्र पेश करने के लिए रिकार्डेड खातेदार होना आवश्यक है? क्या सभी सहखातेदारों को पक्षकार बनाना आवश्यक है? धारा-131 LR Act (Maintenance of map and field book) के अनुसार survey and record operations पूर्ण होने के बाद राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन Land Record officer द्वारा field book को maintain करना होता है और किसी village, portion of a village, estage or field book की सीमाओं में हुए changes को recorded करना और कोई error होती उन्हें correct करना है और वार्षिक रजिस्टर में इन परिवर्तनों को दर्ज करना है। खातेदार बहादुर सिंह फौत हो चुके है और प्रार्थी उनका एक विधिक वारिस है। स्वयं Land record officer भी कभी भी निरीक्षण (record inspection) के दौरान ज्ञात error को पक्षकारों को सुन के दुरुस्त कर सकता है। राजस्व कार्मिकों द्वारा राजस्व नक्शे की सीमाओं (तरमीम) में बिना सक्षम प्राधिकार के की गई त्रुटि को दुरुस्त करने से मृतक खातेदार बहादुर सिंह के अन्य 02 वारिसानों के हकों पर कोई प्रभाव (प्रतिकूल) नहीं पड़ेगा। [illegible] रिकार्ड की दुरुस्ती एक सही [illegible] के अन्य भाई व मां को पक्षकार बनाना आवश्यक नहीं है।	7

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:15:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम… आ… हुव…
	7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रा० पत्र u/s 131 LR Act आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। TDR सुनेल को सहमति बटवारा आदेश दिनांक 17/5/2016 के पृष्ठ भाग पर बने खसरा नक्शा के आधार पर राजस्व नक्शे में तरमीम शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। TDR उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करे। यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाकर मय मुद्रा हस्ताक्षरित किया जाकर खुले कोर्ट में आज दिनांक 05/01/2026 को सुनाया गया।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

05/01/26

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:15:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner